

तारीख
हुक्म

~~यादव लाल सिंह बनाम राम सिंह~~
हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज
~~प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा क्र. 21/11~~

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

23-1-23

प्राथमिक पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
उप./अनुपस्थिति प्रमाणित कर कार-
वीरे/अन्य कारणों से अस्त/बोर्डिंग में
है। प्रयावली अस्थायी कार्यवाही के
क्र. 26-4-23 का पेश हो।


अभि

26-4-23

प्राथमिक पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
उप./अनुपस्थिति प्रमाणित कर कार-
वीरे/अन्य कारणों से अस्त/बोर्डिंग में
है। प्रयावली अस्थाई कार्यवाही के
क्र. 28-06-23 का पेश हो।

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय

पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक
कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान्
में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय
पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)



28.06.2023